

(मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी महोदय)

Encl 2



श्री आनंदपुरा
पंचवक्त्र लि.
बचपुस्तक
कोल्ल

नगरणी-2826/2018/वैतल/भू.व

119

श्रीमति मीनाक्षी पुत्री स्व० श्री सुशीलचंद्र तिवारी
पत्नि श्री महेश प्रसाद शुक्ला, जाति ब्राम्हण
निवासी मालवीय नगर बैतूल जिला बैतूल (म०प्र०) याचिकाकर्ता

बनाम

- 1/ श्रीमति माधुरी आयु करीब 70 वर्ष बेवा स्व० श्री सुशीलचंद्र तिवारी,
 - 2/ मनोज आयु करीब 50 वर्ष आत्मज स्व० श्री सुशीलचंद्र तिवारी
 - 3/ मयंक आयु करीब 49 वर्ष आत्मज स्व० श्री सुशीलचंद्र तिवारी
- सभी जाति ब्राम्हण

सभी निवासी सोहागपुर ढाना तहसील शाहपुर जिला बैतूल (म०प्र०) उत्तरवादीगण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता

न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय, नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा राजस्व अपील क्रमांक 312/अपील/2017-18 पक्षकार श्रीमति मीनाक्षी बनाम श्रीमति माधुरी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.03.2018 के द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अंतर्गत धारा 44 (2) मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959, निरस्त करते हुये न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी शाहपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.10.2016 को स्थिर रखा गया है, से क्षुब्ध एवं व्यथित होकर यह पुनरीक्षण याचिका श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है:-

प्रकरण के संक्षिप्त नमूना



(Handwritten signature)

दिनांक: 20/04/2018
अधीक्षक
जलेक्टोरेट, होशंगाबाद
आपके
नक्षी शाहपुर
द्वारा शोधक
केन्द्र में
पहुंचा
26-4-18

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2826/2018/बैतूल/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-1-2019	<p>आवेदक की ओर से श्री आनन्द शर्मा, अभिभाषक उपस्थित । उनके द्वारा बताया गया कि प्रकरण में आवेदक के उन्हें कोई निर्देश नहीं हैं, इसलिए वह निगरानी में कोई बल नहीं देना चाहते हैं । अतः आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रकरण में कोई बल नहीं दिये जाने के कारण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है ।</p> <p> अध्यक्ष</p> <p> अध्यक्ष</p>	